

"स्व0 कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान"

का

संयुक्ति-पत्र

01. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम "स्व0 कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान" होगा।
02. निबन्धित कार्यालय :- इस संस्था का निबन्धित कार्यालय अस्पताल रोड, हाजीपुर पो0-हाजीपुर, जिला-बैशाली (बिहार) में रहेगा। किन्तु आवश्यकतानुसार कार्यालय स्थान परिवर्तन करने की सुचना निबन्धन विभाग को 11 दिनों के अन्दर दे दी जायेगी।
03. कार्यक्षेत्र :- इस संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत कर्ष होगा। किन्तु शाखा कहीं भी खोली जा सकती है।
04. उद्देश्य :- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

- क. संस्था गरीब, शोषित, दलित, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, के वैश्विक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में विकास का कार्य करेगी तथा इस संस्था का यही मुख्य उद्देश्य होगा।
- ख. संस्था शिक्षित बेरोजगार छात्र एवं छात्राओं को स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण, आशुलिपि, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा, शॉर्टटैपिंग एवं डाइजिटल तथा रिफरेंसर को समुचित निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर स्वावलम्बी बनाना।
- ग. महिलाओं एवं युवकों को शिक्षित करने हेतु सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम तथा प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, आगनवाड़ी, बालवाड़ी, संक्षिप्त पाठ्यक्रम, साक्षरता अभियान का कार्य करना।
- घ. महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य रक्षा हेतु लोगों को टीकाकरण, कुष्ठ, एड्स, हैसिर, पी.एच.टी. नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण हेतु कार्य करना।
- ङ. संस्था पुस्तकालय, वाचनालय, संगीतालय को स्थापना कर लोगों को बौद्धिक विकास में मदद करना।
- च. पर्यावरण सुरक्षा हेतु वृक्षारोपण, ग्रामीण सफाई, शौचालय, प्राकृतिक ऊर्जा आदि के लिए दुर्गा रहित चुल्हा का निर्माण को व्यवस्था करने का प्रयास करना।
- छ. संस्था प्रगतिशील छात्र/छात्राओं के लिए संगीत, नाट्य एवं नृत्यकला का निःशुल्क प्रशिक्षण देने का प्रयास करेगी।

शुद्धी कन्हाई शुक्ला (सचिव)

22/3/2007

- ज. संस्था आपातकालीन स्थिति जैसे बाढ़, आग, अकाल, आकस्मिक दुर्घटना जैसे परिस्थिति में लोगों के लिए भोजन, वस्त्र, दवा, आवास, दिवालाई, मोमबत्ती प्लास्टिक, त्रिपाल आदि की व्यवस्था करना।
- झ. संस्था कृषि एवं वन्य मृमि तथा किसानों को आधुनिक उपकरण से कृषि उत्पादन को बढ़ाने तथा उन्हें खाद, बीज एवं उन्नत किस्म के फसल के संबंध में जानकारी देना।
- ड. संस्था मुक्त-बधिर, विकलांग, नेत्रहीन, अनाथ एवं बेसहारा बच्चों एवं महिलाओं को रख-रखाव एवं उन्हें स्वरोजगार को ओर उन्मुख करेगी।
- ढ. संस्था नया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सेमिनार, संगोष्ठी का आयोजन करेगी।
- ड. संस्था बेरोजगार युवक एवं युवतियों को रोजगारोन्मुख करने हेतु तिलाई-कटाई, पैगोंग, कमीदाकारी, बुनाई, रंगाई, आभूषण, टंकण, कम्प्यूटर आदि की जानकारी देगी।
- ढ. राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, स्वतंत्रता एवं सार्वभौमिकता को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु सर्वथा कार्यरत रहना एवं देश व समाज में फैल रही विध्वनकारी एवं राष्ट्रविरोधी तत्वों के प्रति सतर्क रहना।
- ण. जाति, धर्म, सम्प्रदाय एवं राजनीति से रहित समाज के हरिजन एवं आदिवासी विशेषकर महिलाओं के विकास हेतु आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार करना।
- त. ग्रामीण युवक एवं युवतियों को प्राथमिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी ज्ञान देना एवं रोगियों को सेवा करने संबंध में निःशुल्क प्रशिक्षित करना। इसके साथ-साथ चिकित्सा संबंधी विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों का व्यवहार एवं उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना।
- थ. खादी ग्रामोद्योग व राज्य खादी ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योगों को चलाना तथा संस्था के लोगों को इसके माध्यम से रोजगार प्रदान करना।
- द. महिलाओं को लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, पापड़, बड़ी आचार, सेवई, आम जेली, सतु, बेसन परता का प्लेट, मोमबत्ती, अगरबत्ती बनाने के बारे में निःशुल्क देकर उन्हें आत्म निर्भर बनाने का प्रयास करना।
- ध. कामकाजी महिलाओं, कि/वाओं, परित्यक्ताओं एवं अनाथ बच्चों के लिए आश्रम बनाने का प्रयास करना।

सुधीर कुमार शुक्ला (सचिव)



22/3/2023

- न. दूध पिलाने वाली माताओं को पोषाहार उपलब्ध कराना एवं मातृ सेवा कार्यक्रम का संचालन करना। इसके अलावा पालनायक की व्यवस्था करना।
- प. बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए पोषाहार केन्द्रों की स्थापना कर पोषाहार वितरण करेगी तथा माताओं के बच्चों के लालन-पालन के संबंध में जानकारी देगी।
- फ. महिलाओं के लिए महिला मंडल का निर्माण कर उनके आर्थिक विकास हेतु महिला विकास निगम से सहायता प्राप्त कर कार्य संचालित करेगी।
- ब. ग्राम्य विकास एवं महिला विकास के लिए सरकार द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं में सरकार का मदद करना एवं महिलाओं को जागृक करना।
- म. गरीब, निःसहाय, स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए भोजन, वस्त्र, चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
- म. वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम की व्यवस्था करना।
- य. ग्रामीण पिछड़ी, हरिजन, आदिवासी महिलाओं एवं बच्चों को चौमुखी विकास के लिए स्वयं सहायता समूह बनाना एवं इसके विकास के लिए सरकारी ऋण एवं अनुदान प्राप्त करना।
- र. विकलियों को कृत्रिम अंग, पुर्नवास, शिक्षा एवं चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध कराना।
- ल. प्रचार-प्रसार के लिये पोस्टर, बैनर, झुमेद्री आदि तैयार करना।

शुद्धीर कुमार शुक्ला (सचिव)

22/3/2023



05. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम/पिता/पति का नाम प्रद, पेशा उक्त है के वर्तमान के कार्यकारिणी समिति के सदस्य है। इन्हें नियमानुसार प्रबंध का भार सौंपा गया है।

क्रमांक	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पेशा	पद
1.	श्री संजय पाण्डेय पिता-स्व० देवनाथ पाण्डेय	अन्दरकिला, हाजीपुर जिला- वैशाली।	समाज सेवा	अध्यक्ष
2.	श्री लुधीर कुमार शुक्ला पिता-स्व० कन्हैया प्र० शुक्ला	अस्पताल रोड, हाजीपुर जिला-वैशाली।	समाज सेवा	सचिव,
3.	श्री अरविन्द त्रिवेदी पिता-स्व० श्याम शरण त्रिवेदी	ग्राम+पो०-ब्यना, महारा जिला- वैशाली।	अधिवक्ता,	कोषाध्यक्ष
4.	श्रीमती सुमन शुक्ला पति-श्री रवि शंकर शुक्ला	अस्पताल रोड, हाजीपुर जिला- वैशाली।	समाज सेवी	सदस्य
5.	श्री श्याम सुन्दर प्रसाद पिता-स्व० जगदेव साह	ग्राम +पो०-हसनपुर, नयागाँव, जिला-सारण।	समाज सेवा	सदस्य
6.	श्री राजेश तिवारी पिता-श्री विद्याधर तिवारी	ग्राम+पो०-रोहनिया पिपरा सलेमपुर देवरिया, {यू. पी. }	समाज सेवा	सदस्य
7.	श्री विरयन्द्र पासवान पिता-स्व० हिज्जु पासवान	ग्राम+पो०-पानापुर लंगा जिला-वैशाली {बिहार}	समाज सेवा	सदस्य

शुद्धीर कुमार शुक्ला (सचिव)



29.3.14
22/3/2014

06. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम पता, पेशा एवं हस्ताक्षर नीचे दिया गया है, इस संस्था के स्मृति-पत्र के अनुसार इस संस्था में परिणत होने तथा मोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत निबंधन कराने के इच्छुक है :-

क्रम क्रि	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पेशा	हस्ताक्षर
1.	श्री संजय पाण्डेय पिता-स्वो देवनाथ पाण्डेय	अन्दरकिला, हाजीपुर जिला- वैशाली ।	समाज सेवा	संजय पाण्डेय
2.	श्री सुधीर कुमार शुक्ला पिता-स्वो कन्हैया प्रो शुक्ला	अस्पताल रोड, हाजीपुर जिला- वैशाली ।	समाज सेवा	सुधीर कुमार शुक्ला
3.	श्री अरविन्द त्रिवेदी पिता-स्वो ग्याम शरण त्रिवेदी	ग्राम-पोडो-ब्यना, महारा जिला- वैशाली ।	अध्यवक्ता	अरविन्द त्रिवेदी
4.	श्री मती सुमन शुक्ला पति-श्री रवि शंकर शुक्ला	अस्पताल रोड, हाजीपुर जिला- वैशाली ।	समाज सेवी	सुमन शुक्ला
5.	श्री ग्याम सुन्दर प्रसाद पिता-स्वो जगदेव साह	ग्राम-पोडो-हसनपुर, नयागांव, जिला-सारन ।	समाज सेवा	2 भाग सुन्दर उवाड़
6.	श्री राजेश तिवारी पिता-श्री विद्याधर तिवारी	ग्राम-पोडो-रोहिन्या पिपरा सलेमपुर देवीरया पू. पी. ।	समाज सेवा	राजेश तिवारी
7.	श्री विश्वम्भर पातवान पिता-स्वो हिज्जु पातवान	ग्राम-पोडो-पानापुरलगा जिला-वैशाली बिहार ।	समाज सेवा	विश्वम्भर पातवान

सुधीर कुमार शुक्ला (संभव)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्तियों ने भरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं ।

यह सूची अनिवार्यतः प्रतिनिधि है
29.3.07
वास्ते निबंधन महासिरीक्षण, बिहार

22/3/07
District Public Relations Officer
Vaisali
(Ritesh Kumar)
District Public Relations Officer
Vaisali (Hajipur)

"स्व. कन्हैया शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान"

को

नियमावली

01. संस्था का नाम : "स्व. कन्हैया शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान" ।

02. परिभाषा :-

- क. संस्था से अभिप्राय है : "स्व. कन्हैया शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान" ।
ख. समिति से अभिप्राय है : संस्था की कार्यकारिणी समिति ।
ग. पदाधिकारी से अभिप्राय है : अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ।
घ. वर्ष से अभिप्राय है : 1 जून से 31 मार्च तक ।
ङ. सेक्ट से अभिप्राय है : तोसाइटी रजिस्ट्रेशन सेक्ट 21, 1860

03. सदस्यता :

प्रत्येक व्यक्ति जिसका उम्र 18 वर्ष से अधिक हो तो संस्था के निगमों एवं उद्देश्यों का निष्ठा पूर्वक पालन करते ही वे संस्था के सदस्य बन सकते हैं । सदस्यता ग्रहण करने हेतु उसे विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा, जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्य-कारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी। संस्था के प्रत्येक सदस्य को 21/- स्वया प्रवेश शुल्क एवं 11/- स्वया वार्षिक सदस्यता शुल्क देना होगा।

04. सदस्यता की समाप्ति :

निम्नलिखित परिस्थितियों में संस्था से सदस्यों को सदस्यता समाप्त की जायेगी :-

- क. स्वयं त्याग पत्र देने पर ।
ख. पागल या मृत्यु होने पर ।
ग. सदस्यता शुल्क नहीं देने पर ।
घ. समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर ।
ङ. न्यायालय द्वारा दंडित होने पर ।
च. बिना कारण बताये समिति की लगातार तीन बैठकें अनुपस्थित रहने पर ।

05. कार्यकारिणी समिति का गठन :

- क. कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारी सहित 7 (सात) सदस्य होंगे ।
ख. समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा के द्वारा किया जायेगा ।
ग. कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। निवृत्त सदस्य पुनः चुने जा सकते हैं ।
घ. यदि किसी कारणवश समिति में कोई पद रिक्त होगा तो उक्त पद पर किसी व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं लेकिन वार्षिक बैठक में उसे विधिवत पारित कराना होगा। मनोनीत सदस्य उसी पद के अनुस्यू कार्य करेंगे जिसे पद के लिए उनका मनोनयन किया गया है ।

(हस्ताक्षर)
22/3/2022

शुद्धि कुमार शुक्ला (सचिव)

06. कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :

- क. संस्था के चल या अचल संपत्ति का उत्तरदायी होगा।
- ख. संस्था के सभी कार्यों का संपादन विधिवत करना तथा प्रस्ताव पारित करना।
- ग. उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य संपादित करना।
- घ. उप शाखा का निर्माण करना।
- ङ. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विचार-विमर्श करना।
- च. संस्था के प्रति होने वाली नियंत्रण को सहज बरकरार रखना।

07. आम सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :

- क. समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना।
- ख. संस्था के आय-व्यय लेखा पर विचार करना तथा स्वीकृति देना।
- ग. अंशद्वारा को नियुक्ति करना।
- घ. अध्यक्ष की राय से अन्य विषय पर विचार करना।

08. बैठक :

- क. कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह पर होगी।
- ख. आम सभा की साधारण बैठक प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में होगी।
- ग. कार्यकारिणी समिति को अत्यावश्यक बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।
- घ. आम सभा की विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

09. प्रार्थित बैठक :

1/3 सदस्यों की लिखित मांग पर आवेदन प्राप्त के एक माह के अंदर सचिव को बैठक बुलाना होगा। आवेदन पत्र में विचारणीय विषय का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यदि सचिव उक्त अवधि के अंदर बैठक का आयोजन नहीं करते हैं तो आवेदक को अधिकार होगा कि आवेदन में उल्लिखित विषय के निर्णय हेतु बैठक का आयोजन कर सकते हैं।

10. बैठक की सूचना :-

- क. कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना सात दिन पूर्व दी जायेगी।
- ख. आम सभा की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी।
- ग. कार्यकारिणी समिति की आवश्यक बैठक की सूचना 48 घंटे पूर्व दी जायेगी।

सुधीर कुमार शुक्ला (सचिव)

24/3/2003

घ. आम सभा को आवश्यक बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व दी जायेगी ।

ड. बैठक की सूचना, सूचना पंजी में हस्ताक्षर प्राप्त कर दी जायेगी ।

11. कोरम पूरणपूर्ति :-

प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का साधारण बहुमत होगा । कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जायेगी ।

12. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :

अध्यक्ष :

क. संस्था के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।

ख. किसी विषय पर मतदान के समय पक्ष या विपक्ष के समान मत आने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना ।

ग. कार्यवाही पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना ।

सचिव :

क. प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।

ख. बैठक की कार्यवाही की कार्यवाही पंजी में अंकित करना तथा अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।

ग. प्रत्येक पंजी एवं कागजातों को सुरक्षित रखना ।

घ. संस्था की ओर से पत्राचार करना ।

ड. संस्था के आय-व्यय का अंकित करना ।

च. अध्यक्ष की राय से अन्य कार्य करना ।

छ. कर्मचारियों को नियुक्ति एवं बढास्तरी के आदेश कार्यकारिणी समिति के मतसह सलाह पर करना ।

ज. संस्था के हित में कार्य करना ।

कोषाध्यक्ष :

क. संस्था के आय-व्यय का हिसाब रखना और सचिव के द्वारा बैठक में प्रस्तुत करना ।

ख. सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क आदि प्राप्त कर रसीद देना ।

ग. संस्था के कोष को किसी निबंधित बैंक/ड्राफ्टर में संस्था के नाम पर जमा करना ।

13. आय का स्रोत :-

क. सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क ।

ख. सरकारी और सरकारी, दान, अनुदान, सहायता ।

ग. प्रशिक्षण के दौरान संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से

श्री. अ. कुमार शुक्ला (सचिव)

14. कोष का संचालन :

संस्था की सभी राशियाँ संस्था के नाम खुले ड्राफ्ट या राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में जमा की जायेंगी तथा सभी रकम को निकासी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी।

15. निधि का अंश :

क. संस्था के आय-व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जायेगा तथा आम सभा के द्वारा नियुक्त अंश से प्रतिवर्ष अंशित कराया जायेगा।

ख. निबंधन महानिरोधक कभी भी अपने विवेक से संस्था का अंश कितनी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड स्कॉउन्टेन्ट से करा सकते हैं। इस हेतु चार्टर्ड स्कॉउन्टेन्ट का शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।

16. पंजी का निरोध :

संस्था की सभी पंजियाँ निबंधित कार्यालय में जमा रहेगी जहाँ कोई भी सदस्य या ~~सदस्य~~ ^{सचिव} ~~अध्यक्ष~~ ^{सचिव} की अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरोध कर सकते हैं।

17. नियमावली में संशोधन :

नियमावली में किसी भी प्रकार का संशोधन आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा।

18. कानूनी कार्यवाई :

संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्यवाही सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिकार का नियुक्त समिति को सलाह से की जायेगी।

19. विघटन एवं विघटनोपरति संपत्ति की व्यवस्था :

क. संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 21, 1860 की धारा 13 के अलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा।

ख. आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही संस्था का विघटन किया जायेगा।

सुधीर कुमार शुक्ला (सचिव)

20/11/2019


ग. संस्था के विषयों पर जो चल या अचल संपत्ति होगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जायेगी बल्कि आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर समान उपेक्षवाली दूसरी संस्था या सरकार को दी जायेगी ।

प्रमाणित किया जाता है कि वह नियमावली की सच्ची प्रति है ।

संजय पाल
अध्यक्ष

अरविन्द प्रियदी
कोषाध्यक्ष

अधीर कुमार शुक्ला
सचिव



यह सचची अनिवार्य रूप से सही है।
29.3.09
वास्तविक निबंधन सहित निरीक्षण, विहार